



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 834]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2003/भाद्र 24, 1925

No. 834]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2003/BHADRA 24, 1925

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2003

का०आ० 1048 (अ).—केन्द्रीय सरकार, व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2003 के सितम्बर मास के 15वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के सभी उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 14(3)/98-पी.पी. एण्ड सी.]

अ. ए. अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2003

S.O. 1048(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), the Central Government hereby appoints 15th day of September, 2003 as the date on which all the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 14(3)/98-PP&C]

A. E. AHMAD, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2003

का.आ. 1049 (अ).—केन्द्रीय सरकार, व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 83 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2003 के सितम्बर मास के 15वें दिन से भौतिक सम्पदा अपील बोर्ड को उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करते के लिए स्थापित करती है।

[फा. सं. 9/2/2003-आई आर एस]

अ. ए. अहमद, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2003

S.O. 1049(E).—In exercise of the powers conferred by Section 83 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), the Central Government hereby establishes the Intellectual Property Appellate Board with effect from the 15th day of September, 2003 to exercise the jurisdiction, powers and authority conferred on it by or under the said Act.

[F. No. 9/2/2003-IRS]

A. E. AHMAD, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2003

का.आ. 1050 (अ).—केन्द्रीय सरकार, व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 84 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता को ऐसे स्थानों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जहां बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड की न्यायापीठ अधिविष्ट होगी।

[फा. सं. 8/19/2000/पीपी एंड सी/आईआरएस]

अ. ए. अहमद, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2003

S.O. 1050(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 84 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), the Central Government hereby specifies Ahmedabad, Chennai, Delhi, Mumbai and Kolkata as the places at which a Bench of the Intellectual Property Appellate Board shall sit.

[F.No. 8/19/2000/PP&C-IRS]

A. E. AHMAD, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2003

का.आ. 1051(अ).—केन्द्रीय सरकार, माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2003 के सितम्बर मास के 15वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के सभी उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 9/2/2003-आई आर एस]

अ. ए. अहमद, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2003

S.O. 1051(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (48 of 1999), the Central Government

hereby appoints 15th day of September, 2003 as the date on which all the provisions of the said Act shall come into force.

[F.No. 9/2/2003-IRS]

A. E. AHMAD, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2003

का.आ. 1052(अ).—केन्द्रीय सरकार, माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री को अखिल भारतीय अधिकारिता के साथ चेन्नई में स्थापित करती है और चेन्नई को उस स्थान के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जहाँ उसका मुख्यालय 434, गुना काम्प्लेक्स, तेनाम्पेट, अन्नासालै, चेन्नई-600018 में होगा।

[फा. सं. 9/3/2003-आई आर एस]

अ. ए. अहमद, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2003

S.O. 1052(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (48 of 1999), the Central Government hereby establishes the Geographical Indications Registry with all India jurisdiction at Chennai and also specifies Chennai as the place of its head office at 434, Guna Complex, Teynampet, Annasalai, Chennai-600 018.

[F. No. 9/3/2003-IRS]

A. E. AHMAD, Jt. Secy.